कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
दिशा–निर्देश

जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट आफ गोट एण्ड शीप(के.60+रा.40 के.+रा.) योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 7/2019/4166/सैंतीस–2–2018–1(13)/17टीसी।। दिनांकः 25 जनवरी, 2019 द्वारा विभिन्न मानक मदों में धनरशि रू0–**375.37** लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र संख्याः 1297/बजट/29(5)/अनु0 –15/36/2018–19 दिनांक 29.1.2019 द्वारा विभिन्न मानक मदों में उक्त धनराशि रू0–**375.37** लाख का आवंटन किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

क0सं0	कार्यक्रम/इकाई लागत	इकाई	औरेया	आगरा	योग
1	मेला/प्रदर्शनियों के आयोजन पर व्यय धनराशि	01	0.62	0.45	1.07
2	बकरियों को पारितोषिक वितरण रू0–3000/–प्रति बकरी (रू0 तीन हजार मात्र).	औरेया–1440 आगरा–840	43.20	25.20	68.40
3	बकरों का चयन/क्रय रू0–30000/–प्रति बकरा (रू0 तीस हजार मात्र)	औरेया–48 आगरा–28	14.40	8.40	22.80
4	उत्पन्न नर बच्चों के रख–रखाव पर व्यय रू0–5000/–प्रति बच्चा (रू0 पाँच हजार मात्र)	औरेया–450 आगरा–280	22.50	14.00	36.50
5	उत्पन्न नर बच्चों के रख–रखाव के पश्चात् क्रय रू0–30000/–प्रति बकरा (रू0 तीस हजार मात्र)	औरेया–450 आगरा–280	135.00	84.00	219.00
6	चयनित डाटा रिकार्डर को 12 माह का पारिश्रमिक रू0–5000/–प्रति माह (रू0 पाँच हजार मात्र)	औरेया–29 आगरा–17	17.40	10.20	27.60
योगः			**233.12**	**142.25**	**375.37**

उक्त के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये आवंटित धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें:–

1– शासनादेश दिनांकः 25 जनवरी, 2019 के सापेक्ष वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आवंटन पत्र दिनांकः 29.1.2019 द्वारा दिये निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाये।

2– मानक मद–42 अन्य व्यय में आवंटित धनराशि रू0–1.07 लाख में से जनपद औरेया रू0–0.62 लाख एवं आगरा द्वारा रू0–0.45 लाख मेला/प्रदर्शनियों के आयोजन पर व्यय किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में जमुनापारी बकरी बाहुल्य क्षेत्र में एक मेला/प्रदर्शनियों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें निम्नानुसार कार्यक्रमवार धनराशि व्यय किया जायेगा।

(क) पंडाल, फर्नीचर, बकरियों के लिये पानी की व्यवस्था, बैनर, माइक, वीडियोग्राफी आदि।

(ख) बकरी पालकों का पंजीकरण, पंजीकरण कार्ड जारी करना।

(ग) मेला/प्रदर्शनियों का प्रचार प्रसार, साहित्य, वालपैन्टिग, डुग्गी पीटना आदि।

(घ केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम फरह मथुरा के वैज्ञानिक को मानदेय का भुगतान करना है।

(ड़) डाटा रिकार्डरों हेतु पंजिका (रजिस्टरों) एवं अन्य सामग्री का क्रय, चयनित बकरियों के वजन हेतु वेईग मशीन आदि का क्रय किया जाना है।

3– मानक मद–42 अन्य व्यय में आवंटित धनराशि में से जनपद औरेया को रू0–43.20 लाख एवं आगरा को रू0–25.20 लाख से आयोजित मेला/प्रदर्शनी में जनपद औरेया में 1440 एवं आगरा में 840 उच्च गुणवत्ता की चयनित जमुनापारी बकरियों (प्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्न) के बकरी पालकों को रू0–3000/– प्रति बकरी पारितोषिक का भुगतान सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जायेगा। जिसके लिये लाभार्थी को अपना बैंक खाता संख्या व आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। उसी धनराशि में से लाभार्थी 03 वर्ष हेतु बकरियों का बीमा करायेगें।

4– मानक मद 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि में से जनपद औरेया द्वारा रू0–14.40 लाख एवं आगरा द्वारा रू0–8.40 लाख का व्यय कर आयोजित मेला/प्रदर्शनी में से जनपद औरेया में 48 एवं आगरा में 28 उच्च गुणवत्ता जमुनापारी नस्ल के बकरों का चयन किया जायेगा (प्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्न) जिसके लिये बकरी पालकों को रू0–30000/– प्रति बकरा की दर से भुगतान कर क्रय किया जायेगा। भुगतान प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को अपना बैंक खाता संख्या व आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा। इसी धनराशि में बकरों का बीमा तथा उनके परिवहन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। इसका भुगतान सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जायेगा। तत्पश्चात क्रय किये गये बकरों को चयनित बकरियों में 30:1 के अनुपात में प्रजनन कार्य हेतु वितरित कया जायेगा। जिनसे चयनित की गयी बकरियों में ही प्रजनन कार्य कराया जायेगा।

5– मानक मद 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि में से जनपद औरेया द्वारा रू0–22.50 लाख एवं आगरा द्वारा रू0–14.00 लाख से (चयनित जमुनापारी बकरियों द्वारा उत्पन्न संतति में से जनपद औरेया में 450 नर बच्चे एवं आगरा में 280 नर बच्चे उत्पन्न होगें)। उत्पन्न नर बच्चों के रख–रखाव हेतु प्रति नर बच्चा बकरी पालको को रू0–5000/– का भुगतान किया जायेगा। जिसका भुगतान सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जायेगा। बकरी पालक आवश्यकता पडने पर एक वर्ष बाद मादा बच्चे का विक्रय कर सकता है। किन्तु नर बच्चे की बिकी 05 वर्ष तक नही करेगा। जिसके लिये बकरी पालक को एक शपथ पत्र देना होगा।

6– मानक मद 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में आवंटित धनराशि में से जनपद औरेया द्वारा रू0–135.00 लाख एवं आगरा द्वारा रू0–84.00 लाख का व्यय उत्पन्न नर बच्चों के रख–रखाव के पश्चात् रू0–30000/–(रू0 तीस हजार मात्र) प्रति बकरा के दर से क्रय किया जायेगा। जिसका भुगतान सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जायेगा। डाटा रिकार्डर द्वारा उत्पन्न नर बकरों का 9 माह तक डाटा तैयार किया जायेगा। ट्विनिंग बर्थ वाली बकरियों से उत्पन्न नर को क्रय में प्राथमिकता दी जायेगी। संतोष जनक डाटा प्राप्त होने के पश्चात केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह, मथुरा से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रय किये जायेगें।

7– जनपद औरेया में 29 तथा आगरा में 17 डाटा रिकार्डर का चयन किया जायेगा। मानक मद 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं मद में आवंटित धनराशि (जनपद औरेया रू0–17.40 लाख एवं आगरा रू0–10.20 लाख) से चयनित डाटा रिकार्डर को 12 माह तक रू0–5000/– प्रति का भुगतान सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जायेगा।

8– डाटा रिकार्डर के चयन का आधार निम्नवत् होगा –

क– जनपद के सम्बन्धित विकास खण्ड/न्याय पंचायत मे जहां पर उक्त योजना (चयनित बकरियाँ स्थित हो) संचालित की जा रही है ,वहाँ के पूर्व मे कियाशील व पशु गणना कार्य मे सहयोग करने वाले पैरावेट को प्राथमिकता दी जाय। यदि सम्बन्धित न्याय पंचायत मे कियाशील पैरावेट उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति मे निकट की न्यायपंचायत के कियाशील पैरावेट को प्राथमिकता दी जाय। विशेष परिस्थितियों मे (कियाशील पैरावेट उपलब्ध न हो) उपरोक्त दोनों स्थितियों मे कार्यकर्ता उपलब्ध न होने पर न्यायपंचायत के मूल निवासी का चयन समय समय पर पैरावेट के चयन हेतु निर्गत विभागीय मानको के अनुसार होगा। डाटा रिकार्ड निम्न प्रारूप पर तैयार करना होगा।

डाटा रिकार्डर द्वारा किये जाने वाले कार्य

(चयनित प्रत्येक बकरी का विवरण तैयार किया जायेगा)

चयनित बकरी का टैग नम्बरः

बकरी पालक का नामः

मों0नं0

आधार नम्बरः

स्थायी पताः

बच्चे के जन्म की तिथिः–

बच्चे का लिंग (नर/मादा)

रिकार्डिंग की तिथि

किये जाने वाले कार्य	जन्म की तिथि	प्रथम माह	द्वितीय माह	तृतीय माह	चतुर्थ माह	पंचम माह	षष्टम् माह	सप्तम् माह	अष्टम् माह	नवम् माह
बच्चे का बजन										
ऊचाई										
जमुनापारी के विशेष गुण										
बकरी (माता) का दुग्ध उत्पादन										
कान की लम्बाई										
बच्चे देने की क्षमता (एक या दो)										

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

संख्याः 114 /प0–1/9ख/एन0एल0एम0/2017–18 दिनांकः 01/02/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, औरेया/आगरा।
2– संयुक्त निदेशक, (नियोजन), प्रधान कार्यालय।
3– नोडल अधिकारी, एन0एल0एम0सेल, प्रधान कार्यालय।
4– मुख्य विकास अधिकारी औरैया/ आगरा।
5– जिलाधिकारी औरैया/आगरा।
6– मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, आगरा/कानपुर।
7– प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक ..... को स्थान..... जनपद.....मे आयोजित जमुनापारी बकरी/बकरा मेला/प्रदर्शनी मे श्री/श्रीमती/कु0..... .पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी ग्राम.....पो0..... वि0ख0..... .जनपद की जमुनापारी बकरी/बकरा को जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट आफ जमुनापारी बकरी हेतु चयनित किया गया है

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
समिति सदस्य	समिति सदस्य	अध्यक्ष